ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-4* Issue-2* March- 2019
Innovation The Research Concept

# भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियां और कार्यक्रम

**कमलेश भारद्वाज**
ऐसोसिएट प्रोफेसर,
समाज शास्त्र विभाग,
एस.डी.पी.जी.कॉलेज,
गाजियाबाद

**सारांश**

महिला सशक्तिकरण एक विश्वव्यापी प्रश्न है जो सामाजिक न्याय, क्षमता, समानता एवं समग्र सामाजिक विकास पर आधारित अवधारणा है। सशक्तिकरण का आशय केवल शक्ति का अधिग्रहण नहीं है वरन् कानून व नीति निर्माण की प्रक्रिया की क्रियान्विति में सहभागिता निर्णय लेने व नियन्त्रण करने की शक्ति का परिवर्तनशील कार्यों की ओर अग्रसर होना एवं जागरूक होना एवं जागरूकता व सामर्थ्य निर्माण की एक प्रक्रिया है। प्रस्तुत लेख में सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही नीतियों एवं कार्यक्रमों को वर्णित किया गया है।

**मुख्य शब्द–** सशक्तिकरण, आधुनिकीकरण, न्यायसंगत, परित्यक्त आदि।

**प्रस्तावना**

महिलाएं सामाजिक श्रेणी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यह श्रेणी साधारण प्राणीशास्त्रीय आधार मात्र पर न होकर महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर है। महिलाओं की समााजिक प्रास्थिति एवं भूमिका न केवल यौन के आधार पर परिभाषित होती है अपितु इसे समाज के प्रतिमानों मूल्यों, विश्वासों, परम्पराओं एवं प्रयासों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। एक सामाजिक श्रेणी के रूप मं महिलाएं, जाति, वर्ग एवं प्रगति इत्यादि सामाजिक समूहों की सीमाओं से परे चली जाती हैं। महिलाएं किसी सजातीय श्रेणी का निर्माण नहीं करती है। वे विविध सामाजिक आर्थिक समूहों में बंटी होती हैं, एवं विशिष्ट रूप में भी विभाजित होती हैं जैसे ग्रामीण एवं नगरीय।

महिलाओं के मुद्दों की अवधारणा मात्र महिलाओं से ही सम्बद्ध नहीं है, क्योंकि न तो यह एकमात्र महिलाओं के अधिकार क्षेत्र से सम्बद्ध है, और न ही यह पुरूषों द्वारा महिलाओं पर किये गये अन्यायों का एकमात्र परिणाम है। यद्यपि हमारे समाज और हमारी धार्मिक परम्पराओं में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें महिलाओं को पुरूषों की तुलना में निम्न श्रेणी में रखा गया है किन्तु महिलाओं के मुद्दों को महिला–पुरूष के संघर्ष के रूप में साधारणीकृत नहीं किया जा सकता। वास्तव में ये मुद्दे सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है।

''परवर्ती ऐतिहासिक वर्णनों से यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि वैदिककाल के पश्चात मानव समाज में ऐसी सांस्कृतिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ जिन्होनें नारी के अस्तित्व एवं प्रस्थिति पर अनेकों प्रश्नचिन्ह लगा दिये। इस प्रकार नारी को देवी का स्वरूप समझने वाले पितृसत्तात्मक समाज ने घर की चारदीवारी के अन्दर व बाहर धर्मसंस्कारों एवं प्रतिष्ठा के नाम पर ऐसे बन्धन लगाये हैं जिन्हें पूर्णरूपेण तोड़कर स्वयं को सशक्तिकरण करना उसके लिए अभी तक सम्भव नहीं हुआ है।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र कार्यों में पूर्ण अस्मिता तथा शक्तियों को प्राप्त कर सकें। यदि किसी भी

समाज में स्त्री पुरूष असमानता के बीच विद्यमान हैं तो यह उस समाज के समग्र विकास के लिए कैसे यथोचित हैं।'' [2]

प्रारम्भिक काल में भारतीय समाज में स्त्रियों को अनेकों अधिकार प्राप्त थे। वैदिककाल तथा उत्तर वैदिक काल के पश्चात समाज की मौलिक अवस्थाओं का स्थान रूढियों ने ले लिया, उसका परिणाम यह हुआ स्त्रियों के अधिकार और सम्मान कम होते चले गये। पुरूष प्रधान समाज स्त्रियों के अधिकारों का हनन करता गया और कर्म सांस्कृतिक मूल्यों और कभी परम्पराओं के नाम पर स्त्री का शोषण होता चला गया और इन सबके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गयी। ''रूढ़ियों एवं परम्पराओं को धर्म के ज्ञाताओं एवं स्मृतिकारों का सहयोग मिलने से स्त्रियां धीरे–धीरे पराधीन, असहाय और निर्बल हो गयीं तथा समाज में स्त्री की प्रस्थिति पुरूष की तुलना में द्वितीयक हो गयी। पुरूष ने स्त्री के पारिवारिक अधिकार सीमित कर दिये और स्वयं का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया।

महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चितरूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरूषों और बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा। इसलिए राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास शासन की गुणवत्ता एवं महिलाओं की सक्षमता दोनों पर निर्भर करता है।''

महिला सशक्तिकरण एक वैश्विक विषय है जो कि सामाजिक न्याय, समानता एवं समेकित सामाजिक विकास के दर्शन पर आधारित है। सशतिकरण से आशय केवल शक्ति का अधिग्रहण नहीं है वरन् यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं में इतनी जागरूकता उत्पन्न की जा सके कि वे स्वावलम्बी बनकर सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। भारत महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय एवं समन्वित प्रयास स्वतन्त्रता के उपरान्त ही किये गये हैं। भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था ''लैंगिक असमानता चाहे वह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, मानवीय गरिमा की स्थापना के लिए उसे दूर करना आवश्यक है।'' [5]

**महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के लिए नीतियां**

भारत में महिलाओं की प्रस्थिति के बारे में नीति निर्देश समिति 1974, शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति 1986, राष्ट्रीय योजना परिप्रेक्ष्य 1988–2000, श्रमशक्ति रिपोर्ट 1988 तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में राष्ट्रीय नीति 2001 से उभर कर आए हैं।

भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में समिति की रिपोर्ट 1974, जिस समय पर तैयार की गई उस पर विचार करते हुए यह एक आधारित दस्तावेज है। समिति ने सामाजिक–सांस्कृतिक पहलुओं के सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशों की हैं। इसने सुझाव दिया है। सामाजिक दृष्टिकोणों और संस्थाओं में सुनियोजित प्रक्रिया और ठोस प्रयासों के माध्यम से बदलाव लाए जाएं।

आर्थिक क्षेत्र में समिति ने कहा है कि महिलाओं को राष्ट्रीय विकास में शामिल करना चाहिए। इसके लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में विस्तृत करना अपेक्षित हैं ताकि कामकाजी महिलाओं के लिए क्रेचों की व्यवस्था हो, मजदूरी की समानता और उसे न्यूनतम मजदूर अधिनियम में शामिल किया जा सके महिलाओं की छटनी होने से बचने के लिए उद्योगों में उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हों, उनके लिए अंश कालिक रोजगार हो, महिलाओं को अपेक्षित सूचना प्रदान करने द्वारा उन्हें राष्ट्रीय रोजगार सेवा सहायता दी जाए पांच वर्षों

तक बिना वेतन के विशेष छुट्टी का उपबन्ध हो ताकि महिलाएं परिवार की देखभाल के योग्य हो सकें, मजदूर संगठनों में महिलाओं के विंग स्थापित किए जाएं ताकि महिलाओं की समस्याएं उजागर हो सकें।

समिति ने समान शैक्षिक अवसरों पर जोर दिया। इसने सिफारिश की कि सहशिक्षा को अपनाया जाए, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए साझा पाठ्यक्रम अपनाया जाए। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी गन्दी बस्तियों में बालवाडियों के माध्यम से सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा से पूर्व तीन वर्ष की शिक्षा की सिफारिश की; मिडल स्कूल से आगे यौन शिक्षा प्रारम्भ की जाए, लडकियों के लिए मुफ्त सैकेंडरी शिक्षा हो, पाठ्यक्रम में लैंगिक समानता को जोड़ा जाए। साक्षरता में लैंगिक अन्तराल को कम करने के लिए महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय को शामिल किया जाए।

देश की राजनीतिक प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए समिति ने अन्तरिम उपाय के रूप में महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में आरक्षण का सुझाव दिया, राजनीतिक दल महिलाओं की प्रतिशतता जो वे संसद और राज्य विधानमण्डलों में प्रायोजित करना चाहें उसके लिए, और सामाजिक आर्थिक मामलों में चर्चा के लिए गठित सभी महत्वपूर्ण आयोगों में महिलाओं को शामिल करने के लिए निश्चित नीति अपनाएं।

शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति 1986, समाज में व्याप्त विषमताओं को हटाने के लिए समान शिक्षा अवसर प्रदान करने की जरूरत पर है। महिला समानता के लिए शिक्षा अनुभाग में नीति में यह टिप्पणी की गई है कि ''शिक्षा को महिला की प्रास्थिति में बुनियादी परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में प्रयुक्त काय जाएगा। महिलाओं की सशक्तता में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सकारात्मक, अन्वेषणात्मक भूमिका निभाएगी'' (1986:6)। इसे पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण और शैक्षिक संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से किया जाएगा।

नीति के अनुसार, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनकी प्रस्थिति में किसी बदलाव के लिए आवश्यक है। चूंकि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनमें महिलाएं बड़ी तादात में हैं, उनकी आन्तरिक घर की स्थिति निचली है और असमानता का सामना कर रही हैं, नीतियां और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ऐसे उपाय अपेक्षित क्षमताओं का निर्माण करने में उनकी सहायता करेंगे। न्हें नए उद्यम शुरू करने में सहायता करने के लिए, वित्तीय संस्थाओं से सूक्ष्म कर्जा उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के दृष्टिकोण को वृहद अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाएगा। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में योगदान स्वीकार करना होगा और जनगणना रिकार्ड में कार्य की धारणा को पुनः देखना होगा। अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्वीकरण के लाभ विषम तरीके से वितरित हुए हैं जिससे आर्थिक असमातनाएं, गरीबी के नारीकरण और लैंगिक असमानताएं बड़ी हैं। इसका समाधान करने के लिए, नीतियों में महिलाओं को सशक्त करने हेतु युक्तियां तैयार करने की सिफारिश की गई है। नीति में महिलाओं की कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग और वस्त्र उद्योग में भूमि को मान्यता दी गई है।

**महिलाओं के लिए कार्यक्रम**

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्रों में बहुत से कार्यक्रम शुरू कर रखे है। ताकि वे आत्म–निर्भर बन सके। इस क्षेत्रमें कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की यहां चर्चा की जाती है।

**महिला सामख्या**

के.के. खुल्लर (2007) कहते है कि महिला सामख्या ने महिलाओं के आन्दोलन का आकार ले लिया है ओर नौ राज्यों अर्थात् कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, असम, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के 60

जिलो में 14000 गांवों में महिलाओं के जीवन को बदला जा रहा है। यह शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय नीति 1986 के प्रत्युचर में शुरू हुआ इसक कार्यवाही कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ। अब महिलाओं की गैर–औपचारिक शिक्षा के साथ इसके केन्द्र बिन्दु स्वास्थ्य मामले, मानव अधिकार और शासन है जहां इसका उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करके लैंगिक–न्यायसंगत समाज का सृजन करना है। इस स्कीम से अन्य राज्यों में भी महिलांए प्रोत्साहित हुई है और उन्होंने अपने जीवन में संबंधित मामलों में संघर्ष करना चालू किया है। उदाहरणार्थ हरियाण में महिलाओं ने शराब पीने का विरोध किया, हिमाचल प्रदेश में वे बहुपत्नीत्व के विरूद्ध खडी हुई और तमिलनाडु में उन्होंने देवादासी प्रथा का विरोध किया। दहेज, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या, बाल श्रम चल रहे संघर्ष के मामले हैं दीदी बैंक (बहन का बैंक), किशोरी संघ, जागो बहन, महिला सामख्या कार्यक्रम के सहायक कार्यक्रम हें इस कार्यक्रम ने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाया है जिससे वे अपने अधिकारों को जताने, परिवार और समुदाय में दिखाई देने तथा सरकारी निकायों उत्तरदायित्वों की मांग करने योग्य हो गई है। गांधी दर्शन पर आधारित यह संकल्वाद, सामुदायिक भागीदारी, विकेन्द्रीकरण और जनसंघटन पर विश्वास रखते हैं। महिला सामख्या जो नोडल महिला संघ है जो स्कूल, डिस्पेंसरियां, बाजार, बैंक चलाते है और पचांयती राज संस्थाअें में भागीदारी करते हैं वे, सखियां और सहयोगनियां जो संघों और सहयोगिनियां उत्प्रेरक का कार्य करती है जो संघों को संगठित करने और काय–निष्पादित में सहायता करती है। वे प्रायः लगभग 10 गांव में महिलाओं को संगठित करने का कार्य करती है। नारी अदालतों जो आरंभ में गुजरात द्वारा चलाई गयी थी महिला सामख्या वाले सभी राज्यों ने उन्हें अपना लिया है ताकि जाति हिंसा के विषय में सामूहिक कार्रवाई कर सकें। महिलाओं को चर्चा करने के लिए जगहें भी उपलब्ध है। किशोरी संघ किशोरावस्था की लडकियों को रखते है और स्वास्थ्य संबंधी मामलो में जागरूकता पैदा करते है। ये संध समुदायों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लडकियों को प्रशिक्षित करते है।

**महिलाओं के लिए प्रशिक्षण ओर रोजगार कार्यक्रम को सहायता (स्टेप)**

यह कार्यक्रम 1987 में, पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हेण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट, खादी और ग्रामीण उद्योगों, रेशमी उद्योग, सामाजिक वानिकी तथा बंजर भूमि विकास, में रहने वाली गरीब और सम्पत्तिहीन महिलाओं को अधतन निपुणताएं और नई जानकारी देने के लिए चलाया गया था जिससे उनकी उत्पादकता और आय सृजन में वृद्धि हो। इससे उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि और व्यापकता आएगी जिसमें स्व–रोजगार और उद्यम कौशल का विकास शामिल है।

**कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल**

कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों के डे केयर केन्द्रों सहित हॉस्टल निर्माण या विसतार हेतु सहायता स्कीम सन 1972–73 से कार्यान्वयनाधीन है। इस स्कीम के अन्तर्गत गैर–कानूनी संगठनो, सहकारी निकायों और महिलाओं की समाज कल्याण में लगी अन्य एजेन्सियों, महिलाओं की शिक्षा इत्यादि के लिए कामकाजी महिलाओं के होस्टलों के भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें कामकाजी महिलाओं को (एकल कामकाजी महिलाओं, अपने घरों/शहरों से दूर काम करने वाली महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं, अलग हुई महिलाओं इत्यादि का) रोजगार के लिए प्रशिक्षित महिलाओं और लडकी छात्रों को सुरक्षित और सस्ता होस्टल आवास देने की कल्पना की गई है। प्रशिक्षार्थियों को एक वर्ष की अवधि के लिए और लडकी छात्रों को पांच वर्षो की अवधि के लिए इस शर्त के साथ रहने की अनुमति दी जाती है कि इसमें प्रथम प्राथमिकता कामकाजी महिलाओं को दी जाएगी। स्कीम में यह

अनुबन्ध भी है कि रोजगार के लिए प्रशिक्षित की जा रही महिलाओं और महिला छात्र होस्टल की क्षमता 30 प्रतिशत से अधिक नही होनी चाहिए। अब तग (2007 तक) केवल 876 होस्टल देशभर में स्वीकृत किए गए है।

**स्वाधारः कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए योजना**

मंत्रालय द्वारा यह स्कीम वर्ष 2001 2002 के दौरान कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ चलाई गई थी आश्रय, भोजन, वस्त्र और हाशिए में महिलाओं/लडकियों जो कठिन परिस्थितियों में रह रही हो, को बुनियादी सुविधांए देना, ऐसी महिलाओं को भावात्मक समर्थन ओर सलाह देना शिक्षा जागरूकता, कौशल उन्नयन, व्यवहार कुशलता प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्तित्व विकास इत्यादि महिालाओ/लडकियों के लिए हस्तक्षेप करने की जरूरत पर मामला–दर–मामला के आधार पर अन्य सरकारी और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों में संबंधित करके या नेटवर्किंग द्वारा विशिष्ट क्लीनिकल, विधिक व अन्य समर्थन प्रदान करना, ऐसी महिलाओं को संकट के पल में हेल्प लाईन या अन्य सुविधांए प्रदान करना और अन्य वे सेवांए प्रदान करना जोकि संकट में फंसी ऐसी महिलाओं की सहायता और पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो। लक्षित ग्रुप में परिवारों द्वारा परित्यक्त विधवांए, जेल से रिहा और बिना परिवार की सहायता वाली महिला कैदी, प्राकृतिक आपदायाअें से बचने वाली महिलाएं, अवैध धन्धे से बचाई गई महिलाएं/लडकियों, आतांकवादी/उग्रवादी हिंसा की शिकार, महिलाएं, मानसिक तौर से विक्षिप्त महिलाएं, एच.आई.वी./एड्स ओर इसी तरह की कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाएं शामिल है। कार्यान्वयन अभिकरण है राज्य सरकारों के समाज कल्याण/महिला ओर बाल कल्याण विभाग, महिला विकास निगम, शहरी स्थानीय निकाय और ख्याति प्राप्त र्सावजनिक/निजी न्याय या स्वैच्छिक संगठन। सन् 2008 में कुल 208 स्वाधार आश्रय गृह और 210 महिला हेल्पलाईन देशभर में कार्य कर रही है।

**वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध धन्धें की रोकथाम**

मनुष्यों की सौदेबाजी एक संगठिक अपराध है जो सभी मानवीय अधिकारों का उल्लघंन करता है। भारत एक स्त्रोत, मार्ग और गन्तव्य देश बनकर उभरा है। यह अनुमान है कि भारत में तीन मिलियन सैक्स कार्यकत्र्र है जिसमें से 40 प्रतिशत बच्चें है जिनकी आयु 10 वर्ष की आयु तक की है।

प्रमुख विधान, ''अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनिमय 1956'' ऐसे अपराध के करने वालों को कडी सजा देने के लिए उपबन्ध निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता भी अवैध धन्धे से संबंधित अपराधों के लिए उपबन्ध प्रदान करता है।

**बलात्कार के शिकार को राहत और पुनर्वास के लिए योजना**

बलात्कार के शिकार को राहत और पुनर्वास के लिए योजना 2005 में बलात्कार के शिकार को प्रतिपूर्ति देने के लिए प्रत्येक जिले में अपराधिक चोट राहत और पुनर्वास बोर्ड और जिला मॉनीटर समितियों का गठन किया है जिससे कि आश्रय संरक्षण विधिक और चिकित्सा सहायता तथा अन्य बलात्कार के शिकार को पुनर्वास के उपाय प्रदान किए जा सके। योजना को 11 वी योजना के लिए महिलाओं के सशक्तिरकण के बारे में कार्यदल की रिपोर्ट में शामिल किया गया हें नई योजना के लिए वर्ष 2007–08 में 1 करोड रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

**स्वावलम्बन**

स्वासलम्बन योजना, जो नोराड के नाम से जानी जाती थी (नार्वेजियन एजेंसी फॉर इण्टरनेशनल डेवलपमेण्ट) महिलाओं का आर्थिक कार्यक्रम है जिसे समाज के कमजोर वर्गो जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

इत्यादि निर्धन और जरूरत मन्द महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल देने के उद्देश्य से सन् 1982–83 में शुरू किया गया था ताकि उन्हें रोजगार या स्वरोजगार सतत आधार पर मिले। यहां 36 पारम्परिक और गैर–पारम्पारिक कारोबार है जिनके लिए स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। राज्य महिला विकास निगम योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है जो ज्यादातर राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

**पुनरूपादन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम**

भारत में मातृत्व ओर बाल स्वास्थ्य का संवर्द्धन परिवार कलयाण कार्यक्रम का अति आवश्यक उद्देश्य रहा है। चालू पुनरूत्पादन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अक्टूबर 1997 में चालू किया गया था। आर सी एच कार्यक्रम में बच्चें को जीवत रहने और सुरक्षित कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले घटक शामिल है और एक अतिरिक्त घटक जिसका संबंध प्रजनन पथ संक्रमण और यौन संचारित संक्रमणो से है। मातृत्व के स्वास्थ्य को समुदाय स्तर पर सुधारने के लिए सामुदायिक स्तर के कैडर के कुशल जन्म परिचर के बारे में जो समुदाय में गर्भवती महिलाओं को देखेगा पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक सरकारी प्रयास किये गये है लेकिन ये प्रयास उतने प्रभावशाली साबित नही हुए जितनी इनसे आशा की गयी थी। भारत में सामाजिक व सांस्कृतिक वातवारण व व्यवस्था अभी तक नारी अधिकारों व नारी सशक्तिकरण के पक्ष में नही है। वर्ग जाति व पुरूष प्रधानता पर आधारित परम्परागत सामाजिक ढाचे में निहित असामनता ने भी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। अतः महिलाओं की राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक व विकास के क्षेत्रों में उनकी समुचित भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर व्यापक एवं गम्भीर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हमें समाज की सम्पूर्ण सोच, दृष्टिकोण तथा उसमें प्रचलित पूर्वाग्रहों में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना होगा। विविध क्षेत्रों में नीति निर्धारण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक के विभिन्न पहलुओं पर ईमानदारी के साथ साथ निष्ठापूर्वक अमल करके ही महिला सशक्तिकरण की इस चुनौती का सही प्रकार से सामना किया जा सकता है।

**सन्दर्भ ग्रंथ सूची**

1. *माथुर प्रियंका, ''महिला सशक्तिकरण', ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2010 पृष्ठ 24*
2. *कुमार नरेन्द्र सिंधी (लेख) नारीवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि में महिला विमुक्ति एवं सशक्तिकरण के व्यापक एवं भारतीय संदर्भ में विशिष्ट आयाम' उद्धृत, आशा कौशिक, महिला सशक्तिकरण विमर्श यथार्थ, पोइन्टर, पब्लिशर्स, जयपुर 2004 पृष्ठ 3*
3. *शर्मा प्रज्ञा, महिला विकास एवं सशक्तिरकरण, आविष्कार पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीबयूटर्स, जयपुर, पृष्ठ 10*
4. *प्रतियोगिता दर्पण (सितम्बर 2002) पृष्ठ 374*
5. *शर्मा प्रज्ञा ''भारतीय समाज में नारी'' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2006, पृष्ठ 9*